न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादीयों/अभियुक्तो :–

1. श्री शांतिलाल चावडा पुत्र राधाकिशन चावडा उम्र 49 जाति चावडा (भागीदार)
   फर्म :– चावडा साल्ट इण्डस्ट्रीज, रेल्वे साईजिंग के पास, नावा सिटी तह. नावा सिटी जिला नागौर।
   हॉल निवासी :– रामलक्ष्मण कॉलोनी, नावां सिटी तह. नावां सिटी जिला नागौर।
   स्थायी निवासी :– गौशाला के पास, स्टेशन रोडड़, फलौदी जिला जोधपुर।
2. श्री गोपाल चावडा पुत्र सेवाराम चावडा उम्र 60 जाति चावडा (भागीदार)
   फर्म :– चावडा साल्ट इण्डस्ट्रीज, रेल्वे साईजिंग के पास, नावा सिटी तह. नावा सिटी जिला नागौर।
   हॉल निवासी :–लटियाल सिनेमा के पास, फलौदी जिला जोधपुर।
   स्थायी निवासी :– गौशाला के पास, स्टेशन रोड़, फलौदी जिला जोधपुर।
3. श्री राजेश कुमार चावडा पुत्र सालीगराम उम्र 40 जाति चावडा (भागीदार)
   फर्म :– चावडा साल्ट इण्डस्ट्रीज, रेल्वे साईजिगं के पास, नावा सिटी तह. नावा सिटी जिला नागौर।
   हॉल निवासी :–लक्ष्मीपुरा फलौदी, जिला जोधपुर।
   स्थायी निवासी :– गौशाला के पास, स्टेशन रोड़, फलौदी जिला जोधपुर।
4. श्री ललित कुमार चावडा पुत्र सालीगराम उम्र 36 जाति चावडा (भागीदार)
   फर्म :– चावडा साल्ट इण्डस्ट्रीज, रेल्वे साईजिंग के पास, नावा सिटी तह. नावा सिटी जिला नागौर।
   हॉल निवासी :– रामलक्ष्मण कॉलोनी, नांवा सिटी तह. नावां जिला नागौर।
   स्थायी निवासी :– गौशाला के पास, स्टेशन रोड़, फलौदी जिला जोधपुर।
5. फर्म :– मैसर्स चावडा साल्ट इण्डस्ट्रीज, रेल्वे साईजिंग के पास, नावा सिटी तह. नावा सिटी जिला नागौर।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

प्रकरण संख्याः 12/2020

" अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 तथा धारा– 54 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006"

उपस्थितिः

1. अजीत सिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थीगण
2. प्रार्थी राजेश कुमार जांगिड़ ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर।

—:निर्णय :—

दिनांकः 10 मार्च, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.09.2019 को समय 12:15 पी.एम. पर फर्म चावडा साल्ट इण्डस्ट्रीज रेल्वे साईजिंग के पास, नावा सिटी तह. नावा सिटी जिला नागौर में स्थित संस्थान पर पहुचां। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति शांतिलाल चावडा पुत्र राधाकिशन चावडा उम्र 50 जाति चावडा उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते आयोडाईज्य नमक (लूज) रखा पाया। विक्रेता शांतिलाल चावडा से पूछने पर उक्त संस्थान का खाद्यकारोबारकर्ता व भागीदार होना बताया। उक्त फर्म का भागीदारी फर्म होना बताया तथा मौके पर भागीदारी पत्र प्रस्तुत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता कारोबारकर्ता ने रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (लूज) लगभग 600 कट्टे (प्रत्येक में 50 KG) आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ थे जिसमे खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर नमूना लेने की सूचना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह आयोडाईज्य नमक (लूज) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त 600 कट्टो में से रैंडमली एक कट्टा खुलवाकर उस में से 800 ग्राम आयोडाईज्य नमक (लूज) को अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक रूपकर एक साफ– सूखी एवं खाली स्टील की भगोनी में तुलवाकर वास्ते जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 2/– (अक्षरे दो रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (लूज) के लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1175 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता शांतिलाल चावडा एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।

तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहरकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 16.09.2019 को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 16.09.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ पदार्थ आयोडाईज्य नमक (लूज) की जांच रिपोट संख्या LS/94/Act/2019/94 दिनांक 20.09.2019 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

कारोबारकर्ता शांतिलाल चावडा से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (लूज) का नमूना Q–1175 सबस्टेण्डर्ड तथा एक्सट्रनीयस मेटर उपस्थित होना पाया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता व भागीदार शांतिलाल चावडा को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता शांतिलाल चावडा ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड तथा एक्सट्रनीयस मेटर उपस्थित खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो एफएसएसए एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व धारा 54 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड तथा एक्सट्रनीयस मेटर उपस्थित खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा– 51 तथा धारा 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(3) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 10.02.2021 को प्रतिवादी शांतिलाल चावडा की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत सिंह राठौड़ ने वकालतनाम प्रस्तुत किया तथा लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि

(i) अप्राथीगण के चावड़ा साल्ट इण्डस्ट्रीज, नाम से फर्म नावां शहर में स्थित है जहाँ पर साबूत नमक की पीसाई व पेकिंग का कार्य किया जाता है जो खाद्य मानको का पूर्ण ध्यान रखते हुए ही किया जाता है।

(ii) अप्रार्थीपक्ष की फर्म द्वारा खरीदा गया कच्चा नमक अप्रार्थीपक्ष के फर्म द्वारा मेनुवल व क्रेसर द्वारा पीसाई कर खाद्य मानको अनुसार ही पैकिगं व तैयार किया जाता है।

(iii) अप्रार्थीपक्ष की फर्म द्वारा खरीदा गया कच्चा नमक प्राकृतिक तापमान की वजह से आयोडीन व अन्य मिनरल उड़ जाते है जो अप्रार्थीपक्ष की फर्म के पास माल पहुँचने से पहले ही हो जाता है फिर भी फर्म खाद्य मानको के अनुसार ही नमक तैयार करते है।

(iv) अप्रार्थीपक्ष की फर्म उक्त कार्य पिछले 30 वर्षो से कर रही है आज तक किसी प्रकार की शिकायत नहीं आयी है। अतः अप्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत सिंह राठौड ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्राथीपक्ष के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.09.2019 को जिस आयोडाईज्य नमक (लूज) का नमूना जांच के लिये फर्म– चावडा साल्ट इण्डस्ट्रीज, रेल्वे साईजिंग के पास, नावा सिटी तह. नावा सिटी जिला नागौर से लिया गया था जो नमूना Q–1175 खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान की जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्डर्ड तथा एक्सट्रनीयस मेटर उपस्थित होना पाया गया है।

(4) प्रकरण में प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री अजीत सिंह राठौड़ तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार जांगिड़ को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी सबस्टेण्डर्ड तथा एक्सट्रनीयस मेटर उपस्थित खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 तथा धारा 54 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(5) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 13.09.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 12:15 पी.एम. पर फर्म चावडा साल्ट इण्डस्ट्रीज, रेल्वे साईजिंग के पास, नावा सिटी तह. नावा सिटी जिला नागौर में पँहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति शांतिलाल चावडा पुत्र राधाकिशन चावडा उम्र 50 जाति चावडा स्थायी निवासी– गौशाला के पास, स्टेशन रोड़ फलौदी जिला जोधपुर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते आयोडाईज्य नमक (लूज) खाद्य पदार्थ रखा पाया। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान का भागीदारी संस्थान होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति से संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर आयोडाईज्य नमक (लूज) के लगभग 600 कट्टे (प्रत्येक में 50 KG) आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह आयोडाईज्य नमक (लूज) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त संस्थान में रखें लगभग 600 कट्टो में से रैंडमली एक कट्टा खुलवाकर उसमें से 800 ग्राम आयोडाईज्य नमक (लूज) खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 2/–(अक्षरे दो रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **Q**–1175 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता शांतिलाल चावडा एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म:– चावडा साल्ट इण्डस्ट्रीज, रेल्वे साईजिंग के पास, नावा सिटी, तह. नावा सिटी जिला नागौर तथा विक्रेता भागीदार शांतिलाल चावडा पुत्र राधाकिशन चावडा जाति चावडा, स्थायी निवासी– गौशाला के पास, स्टेशन रोड़, फलौदी जिला जोधपुर से खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (लूज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.09.2019 को एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 16.09.2019 को देकर रसीद प्राप्त की शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 16.09.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM-B रिपोर्ट नं. L.S/94/Act/2019/94 दिनांक 20.09.2019 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The sample of Iodised Salt bearing Code No. and Sr. No. Q-1175 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **Sub-standard** as it does not confirm to the prescribed standards and provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 and **Food containing extraneous matter due to presence of dirt particles.**

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (लूज) की जांच रिपोर्ट संख्या LS/94/Act/2019/94 दिनांक 20.09.2019 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता शांतिलाल चावडा से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (लूज) का नमूना Q-1175 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड तथा एक्सट्रनीयस मेटर उपस्थित होना पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 54 के तहत जुर्माने योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड तथा एक्सट्रनीयस मेटर उपस्थित होना पाया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:–
(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है–

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

धारा 51:–अवमानक खाद्य के लिए शास्ति:–

कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण या मानव उपभोग के लिए भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा 54:– खाद्य मे अन्तर्विष्ट बाह्य पदार्थ होने के लिए शास्ति–

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए मानव उपभोग के लिए किसी खाद्य पदार्थ जिसमें बाह्य पदार्थ अंतर्विष्ट है, का विक्रय के लिए विनिर्माण या भंडार या विक्रय या वितरण या आयात करता है वह शास्ति का, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(7) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक:चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2019/525–26 दिनांक 15.10.2019 के साथ जॉच रिपोर्ट संख्या LS/94/Act/2019/94 दिनांक 20.09.2019 की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आयोडाईज्य नमक (लूज) Q–1175 सबस्टेण्डर्ड तथा एक्सट्रनीयस मेटर उपस्थित है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 54 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, सबस्टेण्डर्ड व एक्सट्रनीयस मेटर उपस्थित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म चावडा साल्ट इण्डस्ट्रीज, रेल्वे साईजिग के पास, नावा सिटी तह. नावा सिटी जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा–51 व धारा 54 के तहत फर्मः– चावडा साल्ट इण्डस्ट्रीज, रेल्वे साईजिग के पास, नावा सिटी तह. नावा सिटी जिला नागौर पर राशि रुपये 37000/–(अक्षरे सैंतीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(8) आदेश दिनांक 10.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

10.3.2021

(रिछपाल सिंह बुरड़क)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना